संख्या: 20/2016/541/35-1-2016-7-270/ज.नि.प्र./2016

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव (सी0 एण्ड पी0जी0),
मंत्रिमंडल सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 22 जून, 2016

विषय: 'उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 सेल' तथा 'राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 अनुश्रवण समिति' के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित अपने अ0शा0प0सं0- आई-11011/145/2015-डीबीटी-सीएबी दिनांक 12 मई, 2016 एवं संयुक्त सचिव (डी0बी0टी0), डी0बी0टी0 मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप: आई-11011/145/2015-डीबीटी-सीएबी(पीटी0) दिनांक 31 मार्च, 2016 के क्रम में निदेशक, डी0बी0टी0 मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप: आई-11011/145/2015-डीबीटी(सीएबी) दिनांक 26 मई, 2016 के साथ संलग्न आपके अ0शा0 प0सं0- आई-11011/145/2015-डीबीटी-सीएबी दिनांक 25 मई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रदेश में क्रियान्वित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) से आच्छादित योजनाओं का अनुश्रवण तथा नवीन योजनाओं को डी0बी0टी0 के अन्तर्गत लाने हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से नियोजन विभाग के अन्तर्गत जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 में 'उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 सेल' का गठन किया गया है। 'उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 सेल' निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा। राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 द्वारा आनलाइन एम0आई0एस0 पोर्टल का निर्माण तथा अन्य तकनीकी कार्यों के लिये आई0टी0 विशेषज्ञ प्रदान करने हेतु सहयोग किया जायेगा।

'उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 सेल' के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :-

1. भारत सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं में डी0बी0टी0 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. धनराशि एवं सूचना के सरल प्रवाह हेतु योजनाओं की यथा आवश्यकतानुसार पुनर्संरचना करना।
3. योजनाओं से सम्बन्धित आनलाइन एम0आई0एस0 पोर्टल तथा उपयुक्त आई0टी0 अप्लीकेशन्स के निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही करना।
4. योजनाओं से सम्बन्धित लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग हेतु जनपदों, सम्बन्धित विभागों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस0एल0बी0सी0) के मध्य समन्वय स्थापित करना।
5. विभिन्न योजनाओं को डी0बी0टी0 से आच्छादित करने के लिये योजनाओं के चिन्हींकरण हेतु कार्यवाही करना।
6. प्रदेश में डी0बी0टी0 की प्रगति से केन्द्र सरकार को नियमित रूप से अवगत कराना।
7. डी0बी0टी0 की प्रगति समीक्षा हेतु समय-समय पर जनपद/विभागों के साथ बैठकों का आयोजन।
8. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों के डिजिटाईज्ड डाटाबेस/ एम0आई0एस0 पोर्टल में लाभार्थियों का बैंक खाता संख्या, आधार संख्या तथा मोबाइल नम्बर को अंकित किये जाने हेतु जनपदों एवं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर अद्यतन स्थिति का अनुश्रवण करना।

प्रदेश में डी0बी0टी0 सम्बन्धी समस्त कार्यों के सफल संचालन तथा उच्च स्तरीय अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति गठित की गयी है :-

<u>'राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 अनुश्रवण समिति'</u>

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन – अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन – सदस्य
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन – सदस्य
4. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन – सदस्य
5. योजनाओं से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य
6. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 – सदस्य सचिव

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश में डी0बी0टी0 के सफल संचालन हेतु डी0बी0टी0 से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं यथा- यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0, जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधियों को भी 'राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 अनुश्रवण समिति' की बैठकों में आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेगा।

इस समिति के कार्य निम्न प्रकार हैं :-

1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को डी0बी0टी0 से आच्छादित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. राज्य में डी0बी0टी0 के क्रियान्वयन का उच्च स्तरीय अनुश्रवण तथा नीति विषयक प्रकरणों पर विचार-विमर्श।
3. डी0बी0टी0 से सम्बन्धित नीतिगत कार्यों पर निर्णय।

नियोजन विभाग के अन्तर्गत जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 'राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 अनुश्रवण समिति' के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 20/2016/541(1)/35-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव (डी0बी0टी0), डी0बी0टी0 मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली/अपर आयुक्त, ई0पी0एफ0ओ0, कानपुर।
9. आयुक्त, खाद्य एवं रसद/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
10. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0।
11. उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
12. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
13. निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण/विकलांग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0।
14. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
15. समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0/अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग/अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद।
16. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0।
17. महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in